

प्रेषक,

आञ्जनेय कुमार सिंह  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी  
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

प्रेष्य,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
डब्ल्यू.सी.डी.सी. बहराइच।

पत्रांक 50 / एस.एल.डी.सी. / लेखा-8(9) / 2015-16 लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2016  
विषय:- समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) के अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्रफल में संशोधन के फलस्वरूप अधिक आवंटित धनराशि का समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना अन्तर्गत जनपद बहराइच की आई.डब्ल्यू.एम.पी.- प्रथम परियोजना का क्षेत्रफल 4000 हे० व धनराशि रू० 480.00 लाख स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष प्रारम्भिक चरण की 20 प्रतिशत धनराशि रू० 96.00 लाख अवमुक्त किया गया तथा कार्य चरण में शासन के पत्र सं०-188 (1)/85-परती-2015/एस०एल०डी०सी० दिनांक 31.03.2015 द्वारा 6.93 प्रतिशत धनराशि रू० 33.264 लाख व पत्र सं०-1055/85-परती-2016 दिनांक 27.1.16 द्वारा कार्यचरण की 3.84 प्रतिशत धनराशि रू० 18.432 लाख अवमुक्त किया जा चुका है।

आपके कार्यालय पत्र सं० 458/भू.सं.अ./आई.डब्ल्यू.एम.पी.-प्रथम/2015-16 दिनांक 20.07.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि बहराइच आई.डब्ल्यू.एम.पी.-प्रथम परियोजना का कुल कार्ययोग्य क्षेत्रफल 2910 हे० है, तदनुसार परियोजना क्षेत्र संशोधित कराने का अनुरोध किया गया। आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को दिनांक 30.07.2015 को आयोजित एस.एल.एन.ए. की बैठक में प्रस्तुत किया गया। एस.एल.एन.ए. से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 758/एस.एल.डी.सी./1(समादेश)08 टीसी दिनांक 20.10.2015 द्वारा प्रस्ताव भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया है।


उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि बहराइच आई.डब्ल्यू.एम.पी.-प्रथम परियोजना के 4000 हे० क्षेत्र के सापेक्ष प्रारम्भिक चरण में आवंटित धनराशि रू० 96.00 लाख तथा कार्यचरण में आवंटित धनराशि रू० 51.696 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू० 147.696 लाख अवमुक्त किया गया है। इसमें से रू० 144.096 लाख डब्ल्यू.सी.डी.सी. को उपलब्ध कराया गया तथा रू० 3.60 लाख एस.एल.डी.सी. में रोका गया।

संशोधित क्षेत्र 2910 हे० के सापेक्ष आवंटन किये जाने की स्थिति में रू० 39.26616 लाख अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है। इस धनराशि को कार्यचरण के कार्यमद में उपभोग करने की अनुमन्यता प्रदान की जाती है। इस प्रकार क्षेत्र संशोधन के उपरान्त इस परियोजना के कार्यचरण में कुल आवंटन 22.01461 प्रतिशत होगा तथा वाटरशेड विकास कार्य मद में आवंटन 20.01461 प्रतिशत हो जायेगा।

अतएव क्षेत्र परिवर्तन के पश्चात् इस परियोजना में अवशेष/उपलब्ध धनराशि वाटरशेड विकास कार्यमद में उपभोग कराने का कष्ट करें। कार्य मदवार आवंटन के सापेक्ष संशोधित स्थिति का विवरण संलग्न प्रारूप में दर्शाया गया है।

संलग्नक-विवरण

भवदीय,

  
(आञ्जनेय कुमार सिंह)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक 1250/एस.एल.डी.सी./लेखा-8(9)/2015-16 लखनऊ दिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप महानिदेशक (वन) भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 11वॉ ब्लॉक छठा तल, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/परती भूमि विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, 23 सी, गोखलेमार्ग, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
6. मुख्य वित्तीय सलाहकार, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, 23 सी, गोखलेमार्ग, लखनऊ।
7. उप निदेशक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मण्डल देवीपाटन (गोण्डा)
8. भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, बहराइच।
9. श्री वी.के. अस्थाना, लेखाकार (कैशियर), एस.एल.डी.सी. को इस आशय से कि क्षेत्र संशोधन के उपरान्त संलग्न प्रारूप के अनुसार अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू० 98100.00 (रू० अट्ठान्चे हजार एक सौ मात्र) एस.एल.एन.ए. में अवशेष रहेगी जिसे आगामी आवंटन में समायोजित कराते हुए पुनः आवंटित किया जायेगा।
10. प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेविल डाटा सेन्टर को इस निर्देश के साथ कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



